नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा भराड़ी रैस्ट हाउस, कार पार्किगों, निगम की कैन्टीन. इत्यादि के लिए मोहरबन्द निविदायें दिनांक 16.7.2016 को सांय 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी टॉउन हाल दी माल शिमला में निविदायें खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाऐगी।

निगम सम्पत्तियों की सूची जिनका आबंटन केवल ई–टैण्डरिंग के माध्यम से किये जाने है।

क्रम स0	विवरण	वाहन क्षमता/ क्षेत्रफल वर्ग मीटर/ वर्ग फुट	अवधि	धरोहर राशि (रू0)	आरक्षित राशि (रू0)
1.	**नगर निगम रैस्ट हाउस/ गैस्ट हाउस भराडी**	**11 कमरे एक हाल इत्यादि**	**11वर्ष**	**12,00,000**	**12,00,000 वार्षिक**
2	**निगम कार पार्किग हाई कोर्ट प्रथम मंजिल**	**35 वाहन**	एक वर्ष	2,44,300/–	16,28,800/–वार्षिक
3.	मैट्रोपोल के नीचे निगम परिसर में पांचवी मंजिल की कार पार्किंग	920 वर्ग मीटर	एक वर्ष	3,95,000/–	26,28,000/–वार्षिक
4.	मैट्रोपोल के नीचे निगम परिसर में चौथी मंजिल की कार पार्किंग	920 वर्ग मीटर	एक वर्ष	3,95,000/–	26,28,000/–वार्षिक
5	निगम कार पार्किग ढ़ली, जनजातिय भवन के सामने	25 वाहन	एक वर्ष	1,54,000/–	10,26,625/– वार्षिक
6.	निगम कार पार्किग नजदीक भज्जी हाउस (आइजीएमसी शिमला)	25 वाहन	एक वर्ष	1,74,500/–	11,63,400/– वार्षिक

निगम सम्पत्तियों की सूची जिनके आबंटन हेतु निविदायें सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से आंमन्त्रित की जानी हैं:–

1.	वर्किंग वुमैन होस्टल संजौली की कार पार्किग	403.25 वर्ग मीटर, 30 वाहन	एक वर्ष	43,100/–	2,87,400/–वार्षिक
2.	निगम कार पार्किग टिम्बर हाउस तथा सड़क कार पार्किग	4 वाहन तथा 15 वाहन	एक वर्ष	34,400/–	3,25,700/–वार्षिक
3.	रैन बसेरा कार पार्किग लक्कड बाजार	105.10 वर्ग मीटर, 8 वाहन	एक वर्ष	49,300/–	3,28,500/–वार्षिक
4.	सड़क कार पार्किग एडवांस स्टड़ी	30 वाहन	एक वर्ष	57,500/–	5,74,800/–वार्षिक
5.	सड़क कार पार्किग चौड़ा मैदान	15 वाहन	एक वर्ष	28,700/–	2,87,400/–वार्षिक
6.	**सड़क कार पार्किग कार्ट रोड से सब्जी मण्डी**	**10 वाहन 50 मोटर साईकल**	**एक वर्ष**	**73,900/-**	**7,39,100 वार्षिक**
7.	**मैट्रोपोल कार पार्किग की चौथी मंजिल की कन्टीन**	**168 वर्ग फुट**	**एक वर्ष**	**30,000**	**60,000/- वार्षिक**

8.	**निगम कार पार्किंग लाम्बा क्वाटर टुटी कण्डी**	**19 वाहन**	**एक वर्ष**	**27,300**	**1,82,038/– वार्षिक**
9.	**लोहा कबाड प्लाटिक की करेटे**	.....	....	**5000/–**	**60/– प्रतिकरेट 12/–प्रति किलो लोहा कबाड़**

शर्तें व निबन्धनः–

1. सशर्त व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदायें रद्द कर दी जाएंगी। उन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जाएंगा।
2. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफट के रूप में ही स्वीकार की जाएंगी जो आयुक्त/सहायक आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में शिमला में देय होगी।
3. सफल निविदाकार को पार्किंगों की ठेका राशि की 25 प्रतिशत राशि देय सेवाकर सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर व पार्किगों की पूर्ण ठेका राशि पर देय टी.सी.एस. इत्यादि का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा। यह ठेका राशि के अतिरिक्त होगा तथा पार्किगों की शेष राशि के 10 उत्तर दिनांकित चैक सेवाकर सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रूप में देने होगें। बाहर के चैक मान्य नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त भराड़ी रैस्ट हाउस के लिए 6 माह का अग्रिम किराया देय सेवाकर सहित स्वीकृत पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर जमा करवाना होगा।
4. प्रत्येक सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकार या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकता है।
6. विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला शहर होगा।
7. निविदायें खोलने वाले दिन यदि अवकाश धोषित हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर प्राप्त की व खोली जाएंगी।
8. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धार्रित टैन्डर फार्म में साफ शब्दों व अंकों में लिखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा लिफाफे पर निविदा का नाम लिखना होगा। जैसे निविदा निगम कार पार्किंग एस डी ए कॉम्पलैक्स कसुम्पटी आदि। अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी। टैन्डर फार्म निगम की वैबसाईट में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
9. निविदायें सहायक आयुक्त,नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डालनी होंगी। समय सीमा के तुरन्त पश्चात निविदा बॉक्स बन्द कर दिया जाएगा ताकि कोई निविदा समय अवधि के पश्चात न डाली जा सकें। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । निविदा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई ही स्वीकार होंगी।
10. यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि से एक दिन पूर्व सॉय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदाये मान्य नहीं होंगी।
11. केन्द्र सरकार,राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/सेवाकर निविदाकार को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य नही होगा।
12. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति/दुकान/स्टाल/ पार्किग आदि का देनदार पाया गया तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी और बाद में पता लगने पर भी निविदा स्वतः रद्द समझी जाएगी।

13. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तों के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर–2 निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम निविदा रद्द समझी जाएगी।

14. जिन ठेकेदारों के पास वर्तमान में पार्किंग का ठेका है, यदि वह निविदा देना चाहतें हैं तो उन्हें नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

15. निविदाओं के नियमों व शर्तो पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपत्ति हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपत्तियॉ दायर कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16. उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त सभी निविदाओं की अलग–अलग शर्ते भी है। जो अधीक्षक सम्पदा से किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

17. आयुक्त नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. सरकार एवं निगम द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देश मान्य होंगें।

19. आयुक्त,नगर निगम या उसके प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आंबटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

20. अनुबन्धनामा की शर्तो की उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

21. पार्किंग के ठेकेदार को इस में स्थित कन्टीन में आने–जाने के लिए कम से कम 2 फुट का रास्ता छोडना होगा ।

22. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुक्सान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुक्सान पाये जाने की राशि काटकर बाकी की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का कब्जा शान्तिपूर्वक नगर निगम को सौंपना होगा।

23. निगम पार्किंग, कन्टीन व निगम की दुकाने वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताऐं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

24. किसी भी पार्किंग में प्राकृतिक व अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुॅचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।

25. निगम द्वारा निर्धारित दरों से यदि ठेकेदार द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्व होने पर रू0 20,000/–जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि बार–बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्व कर दिया जाएगा। यह जुर्माना इकरारनामें की अन्य शर्तो की उल्लंधना करने पर भी वसूल किया जाएगा। पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा व उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

26. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पति में यदि बिजली,पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।

27. पार्किंग के सफल निविाकार को निर्धारित दरों की रसीदें नगर निगम की सम्पदा शाखा से रू035/–प्रति रसीद बुक का भुगतान करने पर प्राप्त करनी होगी। इसमें समय अवधि वाहन का न0 अंकित करना होगा। हाथ से लिखी रसीदें व ठेकेदार द्वारा स्वयं छपवाई गई रसीदें मान्य नहीं होगी।

28. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का 4x4 का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय दूरभाष–नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करनी होगी।

29. सफल निविदाकार को स्थानीय लोगों की सूविधा को देखते हुए व्यवसायिक पार्किंग में स्थानीय लोगों को र्स्व प्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी तथा पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 30 प्रतिशत वाहन को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा इसके इलावा सफल निविदाकार को आवासीय पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 80 प्रतिशत और सड़क कार पार्किंग में 30 प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा। स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए उन्हें स्थानीय पार्षद की प्रमाण–पत्र/स्वीकृति सहित अपना राशन कार्ड /आधार कार्ड/ बिजली/पानी का बिल,प्रमाण पत्र दस्तावेजों के तौर पर निगम कार्यालय में जमा करवाने होगें।

30. सफल निविदाकार को नगर निगम की अनुमति पर पात्र स्थानीय व्यक्ति को मासिक पास देना अनिर्वाय होगा, जिसका रजिस्ट्रर नगर निगम और ठेकेदार दोनों Maintain करेगा। नगर निगम का कर्मचारी कभी भी इसका निरीक्षण कर सकता है, और सफल निविदाकार को इसे हर वक्त साईट पर उपलब्ध रखना होगा। मासिक पास 6 महिने से अधिक अवधि का नहीं दिया जाएगा तथा 6 माह के बाद व्यक्ति को फिर से नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

31. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्यर्टको एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग मोबाईल ऐप आरम्भ कर दी गई है । उच्चतम निविदाकार को मोबाईल ऐप अपनी –अपनी पार्किंग में लागु करनी होगी तथा पार्किंग की काटी गई रसीदे मान्य नहीं होगी। शर्तो की उल्लंघ्यना करने पर निविदाकार से राशि रू0 50,000/– का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला

नीलामी सूचना में दर्शायें गये नियम व शर्तो के अतिरिक्त भराडी रैस्ट हाउस, कार पार्किंगों, दुकानों, ए0टी0एम0 स्थल के लिए अन्य नियम व शर्ते निम्न प्रकार से हैं :–

1. कार पार्किंग को उच्चतम निविदा राशि के आधार पर एक वर्ष के लिये ठेके पर दिया जाएगा। ठेका पूरा होने पर इसके पश्चात निविदाकार/पट्टाधारी को पार्किंग का शान्तिपूर्वक कब्जा नगर निगम को सौंपना होगा।

2. पट्टाविलेख का खर्चा पट्टाधारी/ ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा तथा कार पार्किंगों में वाहनों को

3. पार्क करने का किराया निगम द्वारा निम्न निधार्रित दरों अनुसार वसूल किया जाएगा।

लिफट, मैटोपोल कार्ट रोड, हाई कोर्ट कार पार्किग खलीनी,सिसल,एस डी ए कॉम्पलैक्स, रैन बसेरा (व्यवसायिक पार्किंगें) दरो की सूचीः– (30 प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित जिसमें वरिष्ठ नागरिको को प्राथमिकता दी जाए।)

समय	छोटी कारें वेन,जीप आदि। रुपये	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो तथा अन्य सभी प्रकार की लम्बी कारें । रुपये	स्कूटर/ मोटर साईकिल रुपये
0 से 2	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	30.00 रूपये	40.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 6	50.00 रूपये	60.00 रूपये	20.00 रूपये
0 से 12	100.00 रूपये	120.00 रूपये	40.00 रूपये
0 से 24	170.00 रूपये	200.00 रूपये	80.00 रूपये
मासिक	2000.00 रूपये	2500.00 रूपये	750.00 रूपये

निगम कार पार्किग नजदीक जोधा निवास,अमर भवन, अग्रवाल धर्मशाला, टिम्बर हाउस व अन्य चिन्हित पार्किंगे (80 प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित जिसमें वरिष्ठ नागरिको को प्राथमिकता दी जाए)

समय	छोटी कारें वेन,जीप आदि। रुपये	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो तथा अन्य सभी प्रकार की लम्बी कारें । रुपये	स्कूटर/ मोटर साईकिल रुपये
से 2	10.00 रूपये	15.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00 रूपये
0 से 6	20.00 रूपये	25.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 12	25.00 रूपये	30.00 रूपये	15.00 रूपये
0 से 24	30.00 रूपये	35.00 रूपये	20.00 रूपये
मासिक	600.00 रूपये	800.00 रूपये	300.00 रूपये

सड़क पार्किंग/यैलो लाईन पार्किंग के लिए वाहनों को खड़े करने का शुल्क प्रातः ८:००बजे से सांय ८:००बजे तक निम्न अनुसार ठेकेदार द्वारा वसूल किया जायेगा। (३० प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित जिसमें वरिष्ठ नागरिको को प्राथमिकता दी जाए)

समय घण्टो में	चार पहिये वाले हल्के वाहन रू0	दरें स्कूटर/ मोटर साईकिल
0 –2	10/– प्रति वाहन	5/–
0–4	20/– प्रति वाहन	10/–
0–6	30/– प्रति वाहन	15/–
0–12	40/– प्रति वाहन	20/–

<u>1–भराडी रैस्ट हाउस</u> का आबंटन मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित करके 11 वर्ष की अवधि हेतु मासिक किराया राशि के आधार पर किया जाएगा । उच्चतम निविदा राशि में प्रत्येक 3 वर्ष उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

2– सफल निविदाकार को धरोहर राशि रू0 12,00,000/– की बैक गारण्टी निगम को निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जो आयुक्त/सहायक आयुक्त के पक्ष में देय होगी ।

1- *सफल निविदाकार द्वारा भराड़ी रैस्ट हाउस में फर्नीचर, बिजली की फीटिंग व अन्य सामान ठेका समाप्ति की अवधी के बाद निगम को सौंपना होगा।*

2- *सफल निविदाकार को रैस्ट हाउस की मासिक ठेका राशि की 6 माह की राशि देय सेवाकर सहित सवीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी तथा प्रत्येक माह की राशि के उत्तरदिनांकित चैक सेवाकर सहित हर वितीय वर्ष के आरम्भ में प्रस्तुत करने होंगे । चैक बिना भुगतान के बैंक से वापिस प्राप्त होने की स्थिति में चैक की राशि पर 18 प्रतिशत की अतिरिक्त जूर्माना राशि देय होगी ।*

3- *उच्चतम निविदाकार को रैस्ट हाउस की आन्त्रिक व्यवस्था व अन्य औपचारियकतायें पूर्ण करने के लिए 45 दिनों का समय कब्जा सौंपने के उपरान्त दिया जाएगा तथा 45 दिनों के उपरान्त भराड़ी रैस्ट हाउस के किराये की गणना आरम्भ की जाएगी।*

4- *उच्चतम निविदाकार को इसे रैस्ट हाउस / गैस्ट हाउस के लिए सरकारी /उपक्रम, संस्था, निजी पार्टी, व्यक्ति व बैंक इत्यादि के आधार पर दिया जाएगा। नगर निगम केवल रैस्ट हाउस/गैस्ट हाउस के संचालन हेतु ही अनापति प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा निगम की मांग पर एक कमरा उच्चतम निविदाकार को निःशुल्क आरक्षित करना होगा। जो केवल आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से लिखित आवेदन के माध्यम से आरक्षित किया जाएगा।*

5- *उच्चतम निविदाकार रैस्ट हाउस का ठेका आगे किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा और न ही इसे सबलैट करेगा । रैस्ट हाउस में कोई भी गैर–कानूनी कार्य नहीं करेगा अन्यथा ठेका तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा*

और धरोहर राशि को ज़ब्त कर लिया जायेगा ।

6- निगम रैस्ट हाउस वर्तमान में जिस स्थिति में है उन्ही सूविधाओं के साथ आबंटित किया जायेगा तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान व लाईसैंस आदि की औपचारिकताएं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर पूर्ण करनी होगी । रैस्ट हाउस में किसी प्रकार का अवैध निर्माण व अतिक्रमण करना मान्य नहीं होगा तथा रैस्ट हाउस में प्रत्येक वस्तु की इन्वैटरी निगम द्वारा जारी की जायेगी और इसी अनुसार ठेका अवधि की समाप्ति पर कब्ज़ा वापिस लिया जायेगा । रैस्ट हाउस में किसी भी वस्तु या इसके इर्द–गिर्द लगे वृक्षों की क्षति होने पर इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी ।

7- किसी भी शर्त की उल्लंधना पर आयुक्त नगर निगम के लिखित आदेश द्वारा सफल निविदाकार को बैंक ग्रारन्टी से, हर उल्लधंन पर राशि रू0 20,000/– तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है, और बार–बार उल्लंधना करने पर आबंटन रद्व किया जायेगा।

<u>कार पार्किंग/दुकान/ए0टी0एम0</u>

1. पार्किग स्थल पर बड़ें वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु टाटा सूमो, सिलो, एस्टीम व अन्य बड़ी कारों को निर्धारित दरों पर पार्क करने की अनुमति होगी।

2. सफल निविदाकार को पार्किंगों में स्थानीय लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी।

3. पार्किग स्थल में / से यदि कोई वाहन चोरी / क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसमें नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नही होगी। इसके लिए अनुबन्धधारी स्वयं जिम्मेदार होगा।

4. पार्किग स्थल से बाहर खड़ें वाहनों का किराया अनुबन्धधारी वसूल नही करेगा न ही पार्किग स्थल से बाहर वाहन खड़ें करने की अनुमति होगी।
अनुबन्धनामा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पार्किंग स्थल का कब्जा बिना नोटिस दिये वापिस ले लिया जायेगा।

5. उच्चतम निविदाकार पार्किंग का ठेका आगे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा और न ही इसे सबलेट करेगा अन्यथा ठेका तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। पार्किंग स्थल को साफ रखने की जिम्मेवारी भी निविदाकार की होगी व निविदाकार को पार्किंग स्थल पर केवल गाड़ियां खड़ी करने का ही अधिकार होगा, और इस पार्किंग पर निविदाकार का कोई अधिकार उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं होगा तथा न ही पार्किग में होर्डिग,बैनर लगायेगा।

6. पार्किंग के बिजली का बिल, स्थल की सफाई तथा यदि शौचालय हो तो उसकी भी सफाई तथा पानी का बिल भी निविदाकार/अनुबन्धधारी स्वयं वहन करेगा।

7. आयुक्त नगर निगम शिमला के पास पार्किंग में होर्डिंग/ बैनर तथा अन्य प्रकार की स्वीकृति देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8. दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उपलब्ध सुविधाओं के साथ सौंपें जाएगें तथा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृती पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर अग्रिम रूप में 6 माह की किराया राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।

9. नगर निगम की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना पट्टाधारी दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तान्तरित या लीज तथा लाईसैंस पर नहीं देगा और न ही किसी के साथ सांझीदारी करने का अधिकार होगा तथा न ही सबलेट करेगा। अनुबन्ध नामा के शर्तो का उल्लंघन करने या निर्धारित मासिक ठेका/लीज राशि नियमित रूप से न जमा करने पर अनुबन्ध तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि /प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

10. नगर निगम शिमला या अन्य विभागों द्वारा समय–समय पर लगाये जाने वाले सभी प्रकार के कर/सेवाकर इत्यादि पट्टाधारी को स्वयं वहन करने होगे और आवश्यक लाईसैंस/प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेने होगें।

11. लीज/इकरानामा की सभी शर्तो के किसी भी भाग का उल्लंधन होने की दशा में आयुक्त, नगर निगम शिमला को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय लीज/इकरानामा को तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के रद्द कर सकेगें तथा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

12. उच्चतम निविदाकार को दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल के आगे पड़े खाली स्थान/बरामदे में किसी प्रकार का सामान रखने का अधिकार न होगा और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को यहां बैठने देगा तथा जितना स्थान आवंट्ति है उतना ही प्रयोग करेगा।

13. लीज की अवधि पूरी होने से पूर्व जनहित में यदि आवश्यक हो तो आयुक्त,नगर निगम शिमला को लीज रद्द करने व दुकान का कब्जा वापिस लेने का अधिकार होगा।

14. उच्चतम निविदाकार को निगम की दुकान/ स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल सही दशा में रखनी होगी। इसमें निगम की बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति न होगी । निगम सम्पति में किसी प्रकार की क्षति होगी तो बिना किसी पूर्व सूचना के दुकान का कब्जा वापिस ले लिया जाएगा और धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

15. दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल की सफाई व इसके आस–पास के स्थान को साफ–सुथरा अपने खर्चे पर रखना निविदाकार/पट्टाधारी की जिम्मेवारी होगी।

16 ए0टी0एम का स्थल वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी अनुसार आबंट्ति किया जाएगा तथा ए0टी0एम0 लगाने हेतु निर्माण कार्य उच्चतम् निविदाकार को स्वयं अपने खर्चे पर करना होगा जो नगर निगम के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में किया जाएगा। बिजली के बिलों का भुगतान व लाइसैंस इत्यादि की औपचारिकताएं उच्चतम् निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। खर्च की गई राशि का समायोजन किराया राशि में नहीं किया जाएगा।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

--*-*-*

नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला *द्वारा भराडी रैस्ट हॉउस, कार पार्किंगों, निगम की आदि के आंबटन हेतू। निविदा फार्म*

सेवा में,

आयुक्त,
नगर निगम, शिमला।

विषयः– *निविदा बारे।*

महोदय,

मैं अपनी निविदा निम्न ब्यौरे अनुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ ।

1.	निविदाकार का नाम व पता तथा सम्पर्क न0	
2.	सम्पति का नाम जिसके लिए निविदा दी गई है।	
3.	धरोहर राशि के ड्राफ्ट का न0, तिथि व राशि	
4.	निविदाकार द्वारा भरी गई निविदा की राशि, मासिक /वार्षिक अंको व शब्दों में	
5.	निविदाकार के हस्ताक्षर तिथि सहित।	
6.	पैन नम्बर	

--*